जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 18.11.2022

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 05.06.2022 को थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 201/2022 धारा 363, 323, 504 भादवि में पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थानाभवन को दिये गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.प्रदुमल उर्फ प्रदुमन उर्फ प्रदुम उर्फ बाबू पुत्र सतीश निवासी ग्राम नांगल थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 201/2022 धारा 363, 323, 504 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.का0 अश्वनी कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 10 लीटर अपमिश्रित शराब खाम एवं 250 ग्राम यूरिया बरामदः-

आज दिनांक 18.11.2022 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त इंतजार पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम मोहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली को 10 लीटर अपमिश्रित शराब खाम एवं 250 ग्राम यूरिया सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.11.2022 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मनोज पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

शामली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में आर्म्स एक्ट के मामले मे अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड के संबंध मेः-

अवगत कराना है कि मु 0अ0सं0 431/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (अवैध असलाह रखने) में अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र रतिभान निवासी अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 18.11.2022 को अभियुक्त कृष्णपाल उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.हरेन्द्र पुत्र रतिभान निवासी अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI